

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: न०८८ /प्र०अ०/सि०वि०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
सर्व श्री		3	4	5	6
1	ललित मोहन कश्यप/ नैनीताल/	सिंचाई खण्ड काशीपुर (उप-३)	सिंचाई खण्ड नैनीताल (उपखण्ड-६)	धार ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का ही उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुमात्र चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १३१८ / प्र०आ० / सिंचाई० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, शहस्रबारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १७१८ /प्र०आ०/सिंवि०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५,

दिनांक: ५ जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अस्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पुष्पेन्द्र कुमार/ हरिहार	जल विज्ञान खंड बहादराबाद (उपखंड-२)	पी०ए०जी०ए० वाई० सिंचाई खंड-१ नई टिहरी	धारा ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १७९४ / प्र०आ० / सिं०वि० / ई-५ / रथा०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


१०/६/२०२५
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
विशेष स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या: ४७१ / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख रत्नम्-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये रत्नम्-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	लोकेश कुमार वशिष्ठ/ हरिद्वार	सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार।	पी०एम०जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड, पुरोला	धारा ७ (ख)	

उक्ता आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

५

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः २)

पत्रांक: १७९९ / प्र०आ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सङ्क विकास अभिकरण, प्रथम ताल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रनगर रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


15/6/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: १४८० / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: ३० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्णत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अकित खण्डों/स्थानों पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्वयित
1	2	3	4	5	6
1	अजय भट्ट / रुद्रप्रयाग	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	पी०ए०जी० एस० वाई० सिंचाई खंड, चम्पावत	धारा ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुष्मा चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः २)

पत्रांक: १८० / प्र०आ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संझानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सियिल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रत्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: ४०१ / प्र०अ० / सिंच०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: २० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	भूपेन्द्र सिंह असवाल/ टिहरी	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	पी०ए०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड-२ नई टिहरी	धारा ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रवैकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के हारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

४

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १०१/प्र०अ०/सिं०वि०/ई-५/स्था०-२०२५/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के सज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट काईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
विशेष स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: १०२/प्र०अ०/सिंच०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५.

दिनांक: ५ जून, २०२५

"कार्यालय इाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत पार्विक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कुन्दन वन/ नैनीताल	सिंचाई खंड, रानीखेत (उप-४)	सिंचाई खंड, रानीखेत (उपखंड-२)	धारा ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का ही उपभोग नव कार्यवाही के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के हारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १८०२/प्र०आ०/सिंचाई०/ई-५/स्था०-२०२५/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सङ्करण विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


10/6/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: ४५३ / प्र०अ० / सिं०पि० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५,

दिनांक: ५ जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है : -

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद तर्फ श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मृत्युंजय कुमार / उत्तर प्रदेश	अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून।	सिंचाई खंड, चमोली (उपखंड-३)	धार ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यनुकूल करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका येतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके दिल्लद्व स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।




सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४०३ / प्र०अ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या: १०४ / प्र०आ० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्वे श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विपिन कुमार / हरिद्वार	पी०ए०जी० एस० वाई० सिंचाई खंड कोटद्वार	जल विज्ञान ईकाई-२ (जल विज्ञान खंड) बहादराबाद	धारा ७ (घ)(३)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृता नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

८

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः २)

पत्रांक: १४०५ / प्र०आ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, राहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।

संजीव कुमार श्रीवास्तव
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता
१०/६/२५

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: ।१०६ /प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुद्ध स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	योगेन्द्र कुमार/ हरिद्वार	पी०ए०जी० एस०वाई० सिं०ख०, देहरादून	पी०ए०जी० एस०वाई० सिंचाई खण्ड, चम्बा	धारा ७ (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वैतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः २)

पत्रांक: १४८ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रनगर रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सी०), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(तंजीव कुमार श्रीवास्तव)
यरिष्ट स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1806 /प्र०अ०/सिंवि०/कार्मिक-1/ई-5/स्था०-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अम्बुजित
1	2	3	4	5	6
1	अनुभव नौटियाल/ उत्तरकाशी	पी०ए०जी० एस०वाई० सिंचाई खंड, कोटद्वार	पी०ए०जी०ए०स० वाई० सिंचाई खंड, बैजरो	धारा 7 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय ने स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक तप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

A

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता
(क्रमशः 2)

पत्रांक: १०६ /प्र०अ०/सिंचाई/ई-५/स्था०-२०२५/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रत्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


10/6/2025
(राजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १५०८ / प्र०३१० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के रथान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अभियेक तोमर / देहरादून	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड, पुरोला	धारा ७ (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर ले सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।




सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः २)

पत्रांक: १०७ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / रथा०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहरत्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सील), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
विष्णु स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १०८ /प्र०अ०/सिंच०/कार्मिक-१/ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विवेक कुमार/ हरिद्वार	प्रशासन खंड, रुडकी (उप-१)	सिंचाई परिकल्प संगठन रुडकी	धारा ७ (घ) (३) एवं ३ (घ)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १०४ / प्र०आ० / सिंचाई० / ई-५ / रथा०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहरत्रयारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सी०), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


10/६/२०२५
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ रटाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १३०९ / प्र०अ० / सिं०पि० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित चर्तमान तैनाती के रथान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युकृति
1	2	3	4	5	6
1	मयंक व्यास/ हरिद्वार	प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की	पी०ए०जी०ए०स० वाई० सिंचाई खंड, चम्पावत	धारा ७ (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनरथ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आव्याता तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।




सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: १४०१ / प्र०आ० / सिंचाई० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंथायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


१०/१०/२०२५
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: १६० / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५,

दिनांक: १७ जून, २०२५

"कार्यालय झाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक रथानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से रथानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बृजमोहन सिंह / रुद्रप्रयाग	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	परियोजना खण्ड, देहरादून	धारा ७ (घ) (१)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रवीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के हारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः २)

पत्रांक: १८/० / प्र०अ० / सिं०वि० / ई-५ / रथा०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहरत्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: १४॥ / प्र०अ० / सि०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अमुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मलकेश्वर लाल टम्टा/चमोली	परियोजना खण्ड, देहरादून	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	धारा ७ (घ) (१)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को रादनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त भात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दबात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

१०

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: ।४। / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहरत्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


१०/१०/२०२५
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ रटाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४१२ / प्र०अ० / सिंवि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय झाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	खड़क सिंह/ उधमसिंहनगर	प्रशासन खंड रुड़की (उपखंड-२)	सिंचाई परिकल्प संगठन रुड़की	धारा ७ (घ) (१)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आव्याप्त तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः २)

पत्रांक: १४२ / प्र०आ० / सिंचाई० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियन्ता, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहरनगर रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


16/6/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
विष्ट राजपत्र अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४३ / प्र०अ० / सिंवि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्णीत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	शशि भूषण/ पौड़ी	पी०एम०जी० एस०वाई० सिं०ख०, देहरादून	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खंड, कोटद्वार	धारा ७ (घ) (१)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनरथ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे । स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे ।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: ११३ / प्र०अ० / सिंघि० / ई-५ / रथा०-२०२५ / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०रैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।

W 10/6/2025
(रांजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या: १४१५ / प्र०आ० / सिंवि० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५,

दिनांक: ३० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संरक्षित के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	घारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अस्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पंकज ढौँडियाल / नैनीताल	जमरानी बांध निर्माण खंड-२, हल्द्वानी	सिंचाई खंड, लूद्धपुर (उपखंड-३)	घारा ७ (घ) (३) एवं ३ (घ)	.

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के तैनाती के जायेगी।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की घारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में घारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

॥


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: ११५ / प्र०अ० / सिंचित० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को ना० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सङ्कक विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैयसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


10/6/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
दरिष्ट स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४१५ / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५.

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय इाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्णीत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	नदीन चन्द्र पाण्डे/ नैनीताल	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी (उपखण्ड-२)	सिंचाई खण्ड सितारगज (उपखण्ड-२)	धारा ७ (घ) (१)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरांत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण कार्मिकों के तदनुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

८


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: १४१५ / प्र०अ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रनगर रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


10/6/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ इस्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

बृहो प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १८१६ / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सहित स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख रत्नम्-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये रत्नम्-५ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	घारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अप्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मिताली कपिल / नैनीताल	पी०एम०जी०एस ०वाई०, सिं०ख०, हल्द्वानी	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	घारा ७ (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निमानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित ग्राथिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की घारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में घारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: १८१६ / प्र०३० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियान, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सीएल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४८५ / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अनुपत्ति
1	2	3	4	5	6
1	विशाल प्रसाद / अल्मोड़ा	सिंचाई खंड, रुद्रपुर (उपखंड-३)	सिंचाई खंड कपकोट (उपखंड-२)	धारा ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रवीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १८१७ / प्र०आ० / सिंवि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियान, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहरत्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


10/6/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४८ /प्र०अ०/सिंचाई/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्वे श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्वयित
1	2	3	4	5	6
1	विमल कुमार वर्मा/अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज (उपखण्ड-२)	पी०ए०जी० एस०वाई० सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	धारा ७ (घ)(१)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पहचात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अद्यकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के हारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यायेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: ४४ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सहक विकास अभिकारण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


१०/१०/२५
(संजीव कुमार श्रीयारत्व)
विश्व स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १२१९ /प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५.

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संरक्षित के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
१	२	३	४	५	६
१	अमय सिंह/ उत्तर प्रदेश	सिंचाई खंड, रुड़की (उपखंड-२)	सिंचाई खंड, थराली (उपखंड-थराली)	धारा ७ (ख)	

उच्च आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

साम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:-

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका बेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दड़ात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: १८१९ / प्र०आ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सङ्कर विकास अभिकरण, ग्रथम तल, पचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैंबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


10/6/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृति प्रमुख अभियन्ता।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १२० / प्र०अ० / सिंच० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५.

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सहित स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अनुपित्त
1	2	3	4	5	6
1	मयंक मित्तल / उधमसिंहनगर	सिंचाई खंड, रामनगर	सिंचाई खंड रानीखेत (उपखंड- १)	धारा ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका येतन आहरित न करे। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: १४२० / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सियिल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियान, प्रथम ताल, पचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०रौल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।

*Ad. S
10/6/2025*
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
S. कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४३१ / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय झाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सहित स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख रत्नम्-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये रत्नम्-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	आमुनित
1	2	3	4	5	6
1	अमित बंसल /राजस्थान	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी (उपखण्ड-४)	सिंचाई खण्ड धारचुला (उपखण्ड-मुनस्यारी)	धारा ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका येतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं रिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १२। / प्र०३० / सिंचित / ई-५ / रथा०-२०२५ / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सियिल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रनगर रोड, देहरादून
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
१०. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४१२ / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५.

दिनांक: १० जून, 2025

"कार्यालय इाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	आमुखित
1	2	3	4	5	6
1	विनोद कुमार/ हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, दुगड़ा उप-३	सिंचाई खण्ड केदारनाथ (उपखण्ड-२)	धारा ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिरक्षानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न कर। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

-2-

पत्रांक: ४२२ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / रथा०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियान, प्रथम तल, पचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहरत्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।



(संजीव कुमार श्रीवारतव)
 चरित्र स्टाफ ऑफिसर (कार्मिक-1)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १८२३ / प्र०अ० / सिंच० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वाणिक रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत रथानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अकित वर्तमान तैनाती के स्थान से रथानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में सम्मुख स्तम्भ-३ में अकित वर्तमान तैनाती के स्थान से रथानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा रथानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत रथानान्तरण किया गया	अभ्युपित
					५
१	२	३	४	५	६
१	इन्द्र कुवर / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार (उपखण्ड-५)	सिंचाई खण्ड धाराचुला (उपखण्ड- बलुआकोट)	धारा ७ (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में रथानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी रथानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का रथानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्यवाही के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के रथान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध रथानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ रथानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एव सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः २)

पत्रांक: १२३ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहरत्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैदसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट पाइल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४२५ /प्र०३०/सिंच०/ कार्मिक-१/५-६/ रथा०-२०२५.

दिनांक १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वाधिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में हिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के रथान से स्थानान्तरित करते हुये रत्नम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सूर्य श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	हेम चन्द्र उपाध्याय /बागेश्वर	पी०ए०जी० एस०वाई० सियाई खंड, हल्द्वानी	सिंचाई कार्य मण्डल, उधमसिंहनगर	धारा ७ (घ)(१)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित नियमानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक रात्राह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को लादनुसार तत्काल अवमुक्त करें। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका पैतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुनन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुनन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

६


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: १४०५ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (रत्न-१) / (रत्न-२) / (सियिल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सङ्कर विकास अभिकरण, प्रथम ताल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रनगरा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवारतन)
दिनांक अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १८३५ / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राधिधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिपिल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/ गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अमुकित
1	2	3	4	5	6
1	मनमोहन सिंह बिंट/ नैनीताल	सिंचाई खंड, कपकोट (उपखंड-2)	सिंचाई खंड नैनीताल (उपखंड-1)	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्ता आदेश सत्यगत प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तराल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आस्था तत्पर है। इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार ग्रहण कर लैं सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के साता दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दृष्टा में द्वारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रगति अभियन्ता।

(प्रभाषः २)

पत्रांक: १४२५ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1826 / प्र०अ० / सिंपि० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अमुक्ति
					६
१	प्रयाग दत्त भृत / अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, कपकोट (उपखण्ड-३)	सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा (उपखण्ड-४)	धारा १७ (१)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को वह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ४ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ५ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


८

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: १०६ /प्र०अ० /सिं०वि० /ई-५ /स्था०-२०२५ /तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी. (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संझानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सङ्कक विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- १० कटं फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृति प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४२७/प्र०अ०/सि०वि०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	घारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	गीतेश गौरव सैनी / हरिहार	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	पी०ए० जी०ए०याई० सिंचाई खंड-१ नई टिहरी	धारा १७ (१)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:—

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

८


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४२७/ प्र०अ०/ सिंचाई/ ई-५/ स्था०-२०२५/ तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियान, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: १२२४ / प्र०३० / सि०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/सस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिपिल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अस्तुविच
1	2	3	4	5	6
1	प्रणय कुमार फरासी/ देहरादून	मुख्य अभियन्ता स्तर-२, सिंचाई विभाग, देहरादून	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	धारा १७ (१)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आण्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ४ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ५ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

८

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः २)

पत्रांक: १२४ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।

10/6/25
(संजीव कुमार श्रीवारताव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: १८२१ /प्र०आ०/सिं०पि०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	शिव कुमार/हरिद्वार	जल विज्ञान ईकाई-१ (जल विज्ञान खंड) बहादराबाद	सिंचाई खंड, रुड़की (उपखंड-१)	धारा १७ (१)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ४ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ५ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

६

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: १४२९ / प्र०अ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।

W 10/5/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: १४३० /प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अमुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	महकार सिंह/ हरिद्वार	सिंचाई खंड, दुगड़ा (उपखंड-४)	सिंचाई खंड, दुगड़ा (उपखंड-३)	धारा 17 (१)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राविधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका घेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ४ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ५ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: १४३० / प्र०अ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।

10/01/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 183 / प्र०अ० / सिंच० / कार्मिक-1 / ई-5 / रथा०-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत रथानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख रत्नम्-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से रथानान्तरित करते हुये रत्नम्-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतदहारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	लोकेश कुमार/ हरिहार	पी०ए०जी० एस०वाई० सिं०ख०, पुरोला	सिंचाई खण्ड रुडकी (उपखण्ड-2)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में रथानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक रात्राह के अन्दर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी रथानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। रथानान्तरित कार्मिक का रथानान्तरण कार्मिकों को पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 रथानान्तरित किये गये कार्मिक के हारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध रथानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 रथानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: १४३१ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रनदीरा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवारताय)
वरिष्ठ रटाफ अधिकारी (कार्यिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 1832/प्र0310/सिंचित/कार्मिक-1/ई-5/स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिंचित) को उनके नाम के सम्मुख स्थान-3 में अकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्थान-4 में अकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अम्बुजित
					6
1	2	3	4	5	6
1	सुरेन्द्र सिंह कठायत/ अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, रानीखेत (उपखण्ड-1)	मुख्य अभियन्ता स्तर-2 हल्द्वानी	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिरक्षानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रवीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के हारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: १८३२/प्र०अ०/सिंच०वि०/ई-५/स्था०-२०२५/ तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (रत्तर-१) / (रत्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड चामीण राज्यक विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवारतव)
परिष्ट रटाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 1833 / प्रोओ / सिंवि० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के रथान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतदहारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्वं श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	आन्युवित
1	2	3	4	5	6
1	राजन पन्त/ बागेश्वर	पी०ए०जी० एस०वाई०सि० खंड ज्योतीकोट (नैनीताल)	सिंचाई खंड काशीपुर (उपखंड-३)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

रामबन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण कार्मिकों के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करे। अवमुक्त होने वाले आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करे। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४३३ / प्र०अ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सङ्कर विकास अभिकरण, प्रथम लल, पचायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, तहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबधित अधिकारी द्वारा संबधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवारतव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 1834 / प्र030 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: १० जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	दीन दयाल सती/अल्मोड़ा	सिंचाई खंड, नैनीताल (उपखंड-5)	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खंड, हल्दानी	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आच्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्थीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: १४३५ / प्र०आ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सङ्क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 1835 / प्र०३१० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / रथा०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/ संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (रिविल) को उनके नाम के समुख स्थान-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के रथान से स्थानान्तरित करते हुये स्थान-४ में अंकित खण्डों/ स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/ गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कुताली लाल / चमोली	पी०ए०जी० एस०वाई० सिंचाई खण्ड, चमोली	अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून	धारा १० (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनरथ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर ले सम्बन्धित प्राविधिकारी रथानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण कार्मिकों के सात दिन पश्चात उत्तराका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उत्तराका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अपमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- रथानान्तरित किये गये कार्मिक के हारा नव तैनाती के रथान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध रथानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दलात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- रथानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

A

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४३५ / प्र०अ० / सिंचित / ई-५ / रथा०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (रत्तर-१) / (रत्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रत्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबराइट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


10/6/2025
(संजीव कुमार शोकारत्न)
विश्व रटाफ अधिकारी (कार्गिक-१)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 1836 / प्र०अ० / सिंवि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	भगत सिंह रायत / चमोली	पी०ए०जी० एस० वाई० सिं०ख० —१श्रीनगर।	पी०ए०जी०ए०स० वाई० सिंचाई खंड-२ श्रीनगर	धारा 17 (१)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। रथानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम वी धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

१०

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः २)

पत्रांक: १८३६ / प्र०आ० / सिंचाई० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्टर-१) / (स्टर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियान, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी हाशा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


10/6/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृति प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 1837 / प्र0अ0 / सिंवि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025.

दिनांक/0 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अस्तुकित
1	2	3	4	5	6
1	सुनील कुमार/पौडी	पी0एम0जी0एस ०वाई०, सिं०ख० जखोली	सिंचाई खंड हरिद्वार (उपखंड-5)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक पर्याप्त निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १०३७/प्र०अ०/सिं०वि०/ई-५/स्था०-२०२५/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/(स्तर-२)/(सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रामीण सड़क विकास अभियन्ता, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


10/6/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: १६३८ /प्र०३०/सिं०वि०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/सत्सुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
१	२	३	४	५	६
१	विनोद भण्डारी / नैनीताल	सिंचाई खण्ड रानीखेत (उप-२)	सिंचाई खण्ड हल्दानी (उपखण्ड-४)	धारा १० (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका येतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त गात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग पर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: १८३८ / प्र०आ० / सिंचितो / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैवसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४३१ /प्र०३१०/सिं०वि०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युकृति
1	2	3	4	5	6
1	दीप चन्द्र पाण्डे /अल्मोड़ा	पी०एम०जी० एस०वाई० सिंचाई खंड, बागेश्वर।	सिंचाई खंड रामनगर (उपखंड-३)	धारा १० (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

८

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४३१ / प्र०अ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४० / प्र०अ० / सि०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्णीत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अस्तुकित
1	2	3	4	5	6
1	मनीष कुमार/ हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा (उपखंड-४)	जल विज्ञान खंड बहादरबाद (उपखंड-२)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधिकों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे । स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका पैतन आहरित न करें । अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का ही उपभोग नव कार्यमुक्त के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त नात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे ।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४५० / प्र०३० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ रटाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या १४१/प्र०अ०/सिंवि०/कार्मिक-१/ई-५/स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कड़ी से	कहीं को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अस्तुवित
1	2	3	4	5	6
1	संजय तिवारी/ अल्मोड़ा	पी०ए०जी० एस०वाई० सिंख० चम्पावत सम्बद्ध प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	जमरानी बौद्ध निर्माण खंड-डलद्वानी (पी० आई०य०जमरानी)	धारा १० (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनरथ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:—

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण कर ले सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका घेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्थीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित विश्ये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४५। / प्र०आ० / सिं०वि० / ई-५ / रथा०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण राडक विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।

१५/६/२०२५
(संजीव कुमार श्रीवार्स्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
कृते प्रमुख अभियन्ता

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहसदून ।

संख्या: १४५२ / प्र०अ० / सिंवि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	फरजान खालिद / उधमसिंहनगर	सिंचाई खंड, धारचूला (मुनस्यारी)	सिंचाई खंड रानीखेत (उपखंड-४)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात् कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४२ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / रथा०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


(रांजीत कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४४३ / प्र०अ० / सि०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	संजीव कुमार सिंह/हरिद्वार	पी०ए०जी० एस०वाई० सि०खंड-२, टिहरी	सिंचाई खंड, विकासनगर (उपखंड-४)	धारा १० (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों का स्थानान्तरण कार्यमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अद्यकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: १४५३ / प्र०आ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, लहरत्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०रौल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 1844 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	ललित कुमार धारीबाल/ हरिद्वार	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिं0ख0, बैजरो	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, कोटद्वार	धारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४४ / प्र०अ० / सिंचितो / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

वृत्त प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४५ / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

‘कार्यालय ज्ञाप’

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	योगेश चन्द्र कोटियाल / टिहरी	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (उपखण्ड-२)	परियोजना खण्ड, देहरादून	धारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आठरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: 1845 / प्र०अ० / सिंचित / ई-5 / स्था०-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियान, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी हारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कंट फाईल हेतु।


(संजीय कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १४६ / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५.

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय इाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख रत्नम्-३ में अंकित पर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये रत्नम्-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अस्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अंकित चूमार /हरिद्वार	पी०एम०जी० एस०वाई०, सिं०खं०-०१, नई टिहरी	जल विज्ञान ईकाई-१ (जल विज्ञान खंड) बहादुराबाद	धारा १० (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक को द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: २)

पत्रांक: १४५६ / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्टर-१) / (स्टर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम ताल, पंचायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कठ फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1847 / प्र030 / सिंवि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वैभव गुप्ता/ उत्तर प्रदेश	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंख0, चम्पावत	प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान रुडकी	धारा 10 (क)	

उक्ता आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के तैनाती के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४७ / प्र०अ० / सिंचित० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्टार-१) / (स्टार-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सङ्क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


10/6/2025
(संजीत कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृति प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: १४५८ / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्थान-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्थान-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	चन्द्र शेखर आर्या / अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, धारचुला (बलुवाकोट)	सिंचाई खण्ड, हल्हानी (उपखण्ड-२)	धारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्दिशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का ही उपभोग तथा अवमुक्ति के तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अद्विकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता


२

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४५८ / प्र०आ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: १३५१ / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्थान-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्थान-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	घारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विनय बोहरा / देहरादून	सिंचाई खण्ड पुरोला (उप-४)	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड, देहरादून	घारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के हारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की घारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में घारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४५९ / प्र०आ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
२. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
५. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
८. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
९. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड हैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
१०. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1850 / प्र030 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अस्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मु0 नवाजिश हुसैन /उत्तर प्रदेश	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंख0 पुरोला	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	धारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरगत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियनानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रवीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १५० / प्र०अ० / सिंचाई / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियन्ता, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
 कृति प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 1851 / प्र०अ० / सिंचाई / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था०-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रभोद रावत /उत्तराकाशी	पी०एम०जी० एस०वाई० सिंचाई खण्ड, श्रीनगर-2	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड-1 श्रीनगर	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यनुकूल करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:—

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के रात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्थीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: 1851 / प्र०आ० / सिंचिता० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृति प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1852 / प्र030 / सिंवि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित पर्तमान तैनाती के रथान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

क्र० सं.	नाम/गृह जनपद सर्वं श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	राजेश प्रसाद दिजल्वाण / उत्तराकाशी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खंड, चिन्यालीसौड	सिंचाई खंड पुरोला (उपखंड-4 बडकोट)	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:—

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: । ४५२/ प्र०अ०/ सिं०वि०/ ई-५/ स्था०-२०२५ / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


16/5/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1453 / प्र0आ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: १० जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	हरीश चौहान /उत्तरकाशी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खंड-1 श्रीनगर	पी0ए0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड-2 श्रीनगर	धारा 17 (1)(ख)(छ):	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आच्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वैतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

6

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: १४५३ / प्र०अ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड यामीण सङ्कक विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निवेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।

M. S. 10/6/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)
km कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 185/प्र030/सिं0वि0/कार्मिक-1/ई-5/स्था10-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है : -

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सिकन्दर कुमार /हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, चमोली (उपखण्ड-2)	सिंचाई खण्ड, थराली (उपखण्ड-4)	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका बेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यायेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

l


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमांक: 2)

पत्रांक: १४५४ / प्र०आ० / सिं०वि० / ई-५ / स्था०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / (स्तर-२) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


10/12/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-१)

कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1855 / प्र030 / सिंवि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित यत्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अस्तुकित
1	2	3	4	5	6
1	पंकज नेगी/पौड़ी	पी0एम0जी0 एस0 याई0सिं0खा0 लोहाघाट	पी0एम0जी0एस0 याई0 सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आव्याय तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:—

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमसं: 2)

पत्रांक: 1855 / प्र030 / सिंचाई / ई-5 / रथा०-२०२५ / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियान, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


10/5/2025
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)

कृते प्रमुख अभियन्ता